

प्रेषक,

ए0पी0 त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 19 जनवरी 2018

विषय-अनुदान सं0-21 के अन्तर्गत डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण एवं सडिसडी मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-ले0शा0/1673/112/4408-बजट अनुमान/2017-18 दिनांक 3-1-2018 तथा पत्र सं0-ले0शा0/1674/165/3456-डबल फोर्टिफाइड नमक /2017-18 दिनांक 3-1-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा लेखाशीर्षक 4408-04-डबल फोर्टिफाइड नमक की आपूर्ति के अन्तर्गत रू0 3040 लाख एवं लेखाशीर्षक 3456-सिविल पूर्ति-03- डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण-27-सडिसडी के अन्तर्गत रू0 1610 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखाशीर्षक 4408-03-अन्न पूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत संभावित बचत रू0 20000 लाख में से लेखाशीर्षक 4408-04- डबल फोर्टिफाइड नमक की आपूर्ति-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति में रू0 3040 लाख तथा लेखाशीर्षक 2408-04-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013-0409- राशन कार्डों में दर्ज यूनिटों की आधार सीडिंग-42-अन्य व्यय में हो रही संभावित बचत रू0 2000 लाख में से लेखाशीर्षक 3456-सिविल पूर्ति-03- डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण-27-सडिसडी में रू0 1610 लाख की अतिरिक्त व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) आयुक्त खाद्य तथा रसद समस्त औपचारिकताएं एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (2) बचत की धनराशि आयुक्त खाद्य तथा रसद द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- (3) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (4) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- (5) आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति- डबल फोर्टिफाइड नमक की आपूर्ति-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति एवं लेखाशीर्षक 3456-सिविल पूर्ति-102-सिविल पूर्ति योजना-03- डबल फोर्टिफाइड नमक का वितरण-27-सब्सिडी में सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-7-65 /दस-2018 दिनांक 18-1-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
- 5- अनुभाग अधिकारी खाद्य एवं रसद अनुभाग-6।
- 6- वित्त नियंत्रक खाद्य तथा रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- कोषाधिकारी कोषागार जवाहर भवन लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
- 9- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(ए0पी0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।